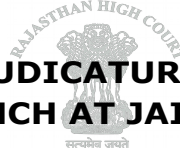




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Revision Petition No. 105/2025

Chauthmal S/o Rampal, R/o 2643, Garathi Ki Dhani, Nahar Badarna, Badarna, Tehsil - Amer, District Jaipur.

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Kanaram Gurjar S/o Sh. Choturam Gurjar, R/o Village-Badarna, Jodla Power House, Harmada, District-Jaipur (Raj).

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Ms. Sonia Gill, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP Mr. Vijay Kumar Jangid, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

22/05/2026

विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), क्रम-08, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा प्रकरण संख्या-1265/2022 में पारित निर्णय दिनांकित 30.07.2022, जिसके तहत अयाची/परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर याची/अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषी करार देते हुए छः माह के साधारण कारावास एवं 12,00,000/- रुपये का अर्थदण्ड/प्रतिकर अधिरोपित कर दण्डित किया गया, अदम अदायगी/प्रतिकर अर्थदण्ड एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या-22/2022 अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-01, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा निर्णय दिनांक 23.12.2024 के माध्यम से खारिज की गई, जिससे व्यथित होकर याची/अभियुक्त की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।



बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता याची का कथन रहा कि पक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा परिवादी को याची द्वारा राजीनामा अनुसार राशि अदा कर दी गई है एवं इस क्रम में लिखित में समझौता पत्र/राजीनामा पत्रावली पर प्रस्तुत है। उक्त समझौता पत्र/राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने की प्रार्थना की गई।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने पक्षों के मध्य राजीनामा स्वेच्छया से होना बताया है, समझौता पत्र/राजीनामा पत्रावली पर उपलब्ध है तथा रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा उसे तस्दीक किया गया है, अपराध शमनीय है, अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त राजीनामे के आधार पर याची/अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया जाना समीचीन है।

परिणामतः याची की ओर से प्रस्तुत यह पुनरीक्षण याचिका राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांकित **30.07.2022** एवं **23.12.2024** अपास्त किया जाता है तथा याची-अभियुक्त को धारा **138** परकाम्य लिखत अधिनियम के आरोप से जरिए राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है।

चूंकि याची-अभियुक्त को जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में दण्डादेश स्थगन आवेदन पर कोई आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(UMA SHANKER VYAS),J